रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

'आपरेशन सिंदूर' सबूत है कि नया भारत अब आतंकवाद का शिकार नहीं होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' इस बात का सबूत है कि नया भारत दृढ़ निश्चयी है और अब आतंकवाद का शिकार नहीं होगा। सिंह शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचे थे। वह शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उधमपुर छावनी में सशस्त्र बलों के जवानों से बातचीत करेंगे।

सिंह ने उधमुपर उत्तरी कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' इस बात का सबूत है कि नया भारत दृढ़ निश्चयी है और अब आतंकवाद का शिकार नहीं होगा। यह ताकत और रणनीति के साथ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब

दिया जाएगा। 'आपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बस एक विराम है। मैं अपने पड़ोसी देश को यह बताना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति भारत की नीति में बदलाव देश के सैनिकों की अद्वितीय वीरता और समर्पण का परिणाम है। इस अवसर पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के जीओसी-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

अगले सप्ताह एससीओ बैठक के लिए चीन जाएंगे

नई दिल्ली, 20 जून (ब्यूरो)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए अगले हफ्ते 25-27 जून के बीच चीन यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री की यह प्रस्तावित यात्रा पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में भारत-चीन में जारी गतिरोध के बाकी बचे मुद्दे का हल निकालने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की यह बैठक चीन के किंगदाओ में हो रही है। पूर्वी लद्दाख में अक्तूबर 2024 में सैन्य गतिरोध खत्म करने की दोनों देशों की ओर से हुई बड़ी पहल के बाद राजनाथ की यह यात्रा चीन में पहली भारतीय मंत्रिस्तरीय वार्ता भी होगी।

कर्नाटक में मुसलिमों का आरक्षण बढ़ाकर सामाजिक ताना-बाना तोड़ रही कांग्रेस : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

भाजपा शुक्रवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आवासीय योजना में मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाकर सामाजिक ताना-बाना तोड़ रही है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आवासीय योजना में मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया है जबकि यह एक कल्याणकारी योजना है, तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों जोड़ा गया? कांग्रेस संविधान की बात करते हुए भी वोट बैंक के लिए सामाजिक ताना-बाना तोड़ रही है। तुष्टिकरण की रीढ़ पर टिकी यह राजनीति अंततः गिरकर बिखर जाएगी। कांग्रेस पार्टी छोटी अवधि राजनीतिक लाभ के लिए लंबी अवधि की आपदा को आमंत्रित कर रही है।

उन्होंने कहा जो आज 99 पर हैं, वे अगली बार 9 पर भी आ सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक जातीय सर्वे का दावा किया, लेकिन 165 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी रपट नहीं छिपाई गई। आखिर उसमें ऐसी क्या खामियां थीं कि उसे रद्द कर नया सर्वे कराना पड़ रहा है? वजह साफ है तुष्टिकरण की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह असंवैधानिक है।

बीएसएनएल ने 5जी फिक्स्ड वायरलेस सेवा में कदम रखा

नई दिल्ली, 20 जून (ब्यूरो)।

सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने घरों में ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 जी फिक्स्ड वायरलेस सेवा में प्रवेश किया है। हैदराबाद से इस सेवा की शुरूआत की गई। वर्तमान में, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, अपने 5 जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर 5 जी फिक्स्ड वायरलेस सेवाएं (एफडब्ल्यूए) प्रदान कर रही हैं।

'बिहार को बदहाल करने वालों को नहीं सुहा रहा विकास'

नई दिल्ली, 20 जून (ब्यूरो)।

बिहार में सत्तारूढ़ जद (एकी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार को बदहाल किया उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार नहीं सुहा रहा है। अपने माता-पिता के पंद्रह वर्षों के कार्यकाल को याद करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जद (एकी) प्रवक्ता ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब लालू यादव ह्यकिंग मेकरह्न की भूमिका में थे। लेकिन बिहार के विकास के लिए उन्होंने केंद्र से क्या काम कराए? ये बातें तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से पूछनी चाहिए। तब लालू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया।

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ms. Namita Sharma Civil Judge (Junior Division), Jalandhar
M/s Em Cee Sports
Vs.
Vikas Thakur
CNR NO: PBJL02-002563-2024
Next Date: 16-07-2025
suit for grant of decree for recovey of rs. 30539/0 alongwith interest prayed for.
Publication Issued To: Vikas Thakur : B 601-602 , Antarctica B. Casa Rio Kalyan Shil Road, Dobivali, Palava Mumbai, Maharashtra 421204
In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent (s) should appear in person or through counsel on 16-07-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Civil Judge (Junior Division) Jalandhar

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Shivani Garg Judicial Magistrate First Class-7, Jalandhar
Naresh Kumar Vs. M/s Octafx Innovative
CNR NO: PBJL03-001649-2024
Next Date: 01-08-2025
detail of offence:- NACT-514-2024
Notice To: 1. m/s octafx innovative prana garha nanak matta udham singh nagar uttrakhand through its director balwinder singh 2. m/s hukam development pvt. ltd. kalyanpur (puran garh), nanak matta, udham singh nagar, uttrakhand- 262311 through its director/managing director balwinder singh
3. balwinder singh s/o makkhan singh kalyanpur (puran garh), nanak matta, udham singh nagar, uttrakhand- 262311
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered thataccused should appear in person or through counsel on 01-08-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
JMIC -7 Jalandhar

Criminal Court, Ludhiana
In The Court Of Ms. Rinky agnihotri JMIC, Ludhiana
Sanjeev Kumar Batheja
Vs.
M/s Nikom Engineer
CNR NO: PBLD03-002258-2010
Notice To: M/s Nikom Engineers Pvt Ltd gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, through its authorized signatory/director Manoj Kumar
Manoj Kumar authorized sign. m/s nikom engineers pvt ltd. gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, 400072
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby 04-07-2025 at 10:00 a.m.take notice that, in default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his/their absence Given under my hand and the seal of the court. for details login to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana
In The Court Of Ms. Rinky agnihotri JMIC, Ludhiana
Sanjeev Kumar Batheja
Vs.
M/s Nikom Engineer
CNR NO: PBLD03-002422-2010
Notice To: M/s Nikom Engineers Pvt Ltd gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, through its authorized signatory/director Manoj Kumar
Manoj Kumar authorized sign. m/s nikom engineers pvt ltd. gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, 400072
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby 04-07-2025 at 10:00 a.m.take notice that, in default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his/their absence Given under my hand and the seal of the court. for details login to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

COURT NOTICE
(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court Of Taranjeet Singh Civil Judge (Junior Division), Phillaur
State Bank Of India
Vs.
Lajar
CNR NO: PBJLB0-000911-2024
Next Date: 18-07-2025
Publication Issued To: Lajar Father: Makhan Patti Badal Ki, Vpo Bundala, Tehsil Phillaur, Distt. Jalandhar
In above titled case, the defendant (s) /respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant (s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 18-07-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Civil Judge (Junior Division) Phillaur

Criminal Court, Ludhiana
In The Court Of Ms. Rinky agnihotri JMIC, Ludhiana
Sanjeev Kumar Batheja
Vs.
M/s Nikom Engineer
CNR NO: PBLD03-048871-2024
Notice To: M/s Nikom Engineers Pvt Ltd gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, through its authorized signatory/director Manoj Kumar
Manoj Kumar authorized sign. m/s nikom engineers pvt ltd. gala no 17/18, gilbert d'souza compound, durga mandir lane, near mhada police station, kherani road, sakinaka, mumbai, 400072
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby 04-07-2025 at 10:00 a.m.take notice that, in default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his/their absence Given under my hand and the seal of the court. for details login to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

HINDUJA HOUSING FINANCE
हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: संख्या 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय: एफ-8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201010
एएलएम-अरुण मोहन शर्मा
आरआरएम अमित कौशिक मो. नंबर 9587088333
सीएलएम-अंकित गर्ग-मो. नंबर 9654060881

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में,
1. श्री रिंकू रिंकू
2. श्रीमती वर्षा

दोनों: सी-4/60, ख. नं.-291, मेन सर्कुलर रोड, पुस्ता 2, राम नाथ मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सोनिया विहार ,कराबल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली-110094

ऋण सं.- डीएल/डीईएल/एलएक्सएनडी/ए000001137

जैसाकि, माननीय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा 19-04-2025 को पारित आदेश के तहत, प्लॉट नंबर ए-4/24 में डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में निर्मित **ग्राउंड फ्लोर, फ्लैट नंबर जीएफ-02 (एलएचएस फ्रंट साइड), 550 वर्ग फुट क्षेत्रफल की संपत्ति का सभी भाग और हिस्सा सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: सीढ़ियाँ/फ्लैट नंबर जीएफ-01, पश्चिम: 9 मीटर सड़क,उत्तर: अन्य संपत्ति, दक्षिण: प्रवेश फ्लैट नंबर जीएफ-01**, का मेसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 19.06.2025 को भौतिक कब्जा ले लिया गया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार मेसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अधिकृत अधिकारी,
हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
दिनांक: 21.06.2025
स्थान: गाजियाबाद

फॉर्म नं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (क) के मामले में, और
मैसर्स प्रोमिनेंस पिनेकल प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL2005PTC141548) जिसका पंजीकृत कार्यालय 81, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-केयू, डीडीए मार्केट, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110034 में है, के मामले में

.....(आवेदक)

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 5 जून, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः
मैसर्स प्रोमिनेंस पिनेकल प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड की ओर से और उसके लिए

हस्ता/- दवेंद्र कुमार
निदेशक
दिनांकः 19/06/2025
स्थानः दिल्ली
डीआईएनः 00685306

केंद्र सरकार के समक्ष
कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में और बियॉन्ड कर्व कंसल्टिंग एलएलपी के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय "यूनिट नंबर 501, 5वीं मंजिल, एबीडब्ल्यू एलिगेंस टॉवर, नॉन-हाइरार्किकल सेंटर, जसोला, नई दिल्ली-110025" (याचिकाकर्ता एलएलपी) में है।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को " नई दिल्ली" राज्य से "उत्तर प्रदेश" राज्य में बदलने की अनुमति मांगी जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां पहुंचा सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है; जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर पहुंचाई जाएगी।

बियॉन्ड कर्व कंसल्टिंग एलएलपी की ओर से
दिनांकः २१-०६-२५
स्थानः नई दिल्ली
हस्ताक्षरकर्ता/-
गोपाल माहेश्वरी

सार्वजनिक सूचना
फॉर्म नं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5)के क्लॉज़(क) के तहत और **गॉडफादर फिनवेस्ट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड** में जिसका पंजीकृत कार्यालय **ए-2, गली नंबर 1, ओल्ड अर्जुन नगर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत,** 110092 में है, के मामले में

..... आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 20 जून, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार,माननीय क्षेत्रीय निदेशक कंपनियों, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः
बोर्ड की ओर से

गॉडफादर फिनवेस्ट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए
सुरेंद्र कुमार जैन
निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.06.2025
डीआईएनः 01542607

pnb Housing Finance Limited
पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011 -23357171 , 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पताः एससीओ - 9 एवं 10, दूसरी मंजिल, सेक्टर 66ए, जेएलपीएल, मोहाली, पंजाब-140306
अब तक संशोधित के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. (इसके पश्चात "पीएनबीएचएफएल" कहा जायेगा) ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) (इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत अपने चण्डीगढ़ शाखाः एससीओ - 9 एवं 10, दूसरी मंजिल, सेक्टर 66ए, जेएलपीएल, मोहाली, पंजाब-140306 द्वारा माँग सूचना निर्गत की थी। कथित माँग सूचना आप सभी निम्नलिखित कजदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों को हमारे अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की गयी थी जो कि किश्तों/ब्याजों के भुगतान न किये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। इसकी विषय-सामग्री मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गयी चूक से सम्बन्धित है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणवश हमें विश्वास है कि आप माँग सूचना की सेवाओं की अनदेखी कर रहे हैं अतः माँग सूचना का यह प्रकाशन कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी अपेक्षित है। एतद्वारा आपको अद्यतन ब्याज तथा प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि इस माँग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर पीएनबीएचएफएल कर्जदारों तथा जमानतियों की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने सहित समस्त अथवा किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम की धारा 13(4) के समस्त या किन्हीं प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु केवल इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि अदा/भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित कर-के सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री द्वारा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व अदा नहीं की गयी तो इसके पश्चात आप प्रतिभूत आस्ति(यों) को छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। पुनः आपको उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के बिक्री, पट्टे या किसी अन्य विधि से हस्तान्तरित करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निषिद्ध किया जाता है।

ऋण खाता सं. तथा शाखा	कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम एवं पता	जमानती का नाम एवं पता	बन्धक सम्पत्ति(यों)	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि
HOU/CHD/0518/526082 शा.का. : चण्डीगढ़	श्री रविंदर कुमार और श्रीमती रानिना देवी पताः 282, टाइप 2, सेक्टर 5 आर के पुरम, नई दिल्ली, 110022, यहां भीः पंधवीं 42/7, मैर, तहसील और जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001, साथ हीः सीबीआई मुख्यालय विल्डिंग, 7वीं मंजिल, 5 बी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, 110001, साथ हीः फ्लैट नंबर 132, ग्राउंड फ्लोर, एलीट होम्स, मॉडर्न वैली, गांव खानपुर, खरड़, जिला एसएएस नगर, पंजाब-140301	अनुपलब्ध	फ्लैट नंबर 132, ग्राउंड फ्लोर, एलीट होम्स, मॉडर्न वैली, गांव खानपुर, खरार, जिला सास नगर, पंजाब -140301, रकबा माप 0 बीघा 0.73 बिस्वे (36.66 वर्ग गज) हदबस्त संख्या 183, सम्मिलित खेवट/खतूनी संख्या 155/158, खसरा संख्या 166/2(3-17), 167(4-16), 168(4-16), 169(2-5), 171(3-0), 172(4-16), 173(4-13), 174(4-10), 175 4-16, 176(4-16), 177(4-16), 178(4-16), 179(4-6), 1103/170(3-7), किते 14, 220/357000 रकबा का भाग 59 बीघे 10 बिस्वे बकदर 0 बीघे 0,73 बिस्वे रंजना देवी और रविंदर कुमार के नाम पर टाइटल डीड दस्तावेज संख्या 2018-19/15/4891 दिनांक 23-07-2018 के अनुसार	11-जून-2025	रु. 1306791.59/- (रुपये तेरह लाख छह हजार सात सौ इक्यानबे और उनसठ पैसे मात्र) दिनांक 11.06.2025 तक देय

स्थान :चण्डीगढ़ तिथि : 20.06.2025
हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

UPSIDA
कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के निम्न कार्यों हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाने वाली निविदा सम्बन्धी विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा का प्रकार	कार्य की लागत रू0 (लाख में)
1.	Providing of Water Tanker with Sprinkler 6000 liter or above Capacity in Sectors of Under CD-II, UPSIDA Distt.G.B.Nagar.	अल्पकालीन	23.94

अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.06.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 30.06.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, प्राप्त अल्पकालीन ई-निविदाओं को दिनांक 01.07.2025 पूर्वान्ह 11:00 बजे या इसके पश्चात् खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा अपलोड किये गये समस्त शपथ प्रपत्रों की मूल प्रतियों को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 02.07.2025 की सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। नोटः- निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।
(एन0के0 जैन) वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल),
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0 निर्माण खण्ड-2, कासना गौतमबुद्ध नगर। मो0-9871090088

U.P. STATE SUGAR CORPORATION LTD., UNIT: MOHIUDDINPUR (MEERUT)
Ref. No. : MOH/PD/2025-26/181 Dated : 20.06.2025
TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited from reputed Manufacturers/Authorized Dealers/ Experienced Suppliers/Contractors (As per details given in tender documents) for supply/ Contract of following Store materials. Tender Forms will be available on any working days on submission of required documentary evidence and will be submitted upto **30.06.2025**, up to **2.00 PM**. The General Manager reserves the right to reject/accept any or all the tenders without assigning any reason.
(1) Supply of Fibrizor Hammer (2) Supply of Leveller, Chopper Cane Cutting Knives (3) Supply of M.S. Racks (4) Supply of Gantry Rail (5) Rewinding of Electric Motors (6) Supply of Mechanical Seal (7) Supply of ERW Air Heater Tubes Sleeve (8) Misc. Store Material (9) Misc. Electrical Items (10) Supply of Crystallizer Cooling Coils (11) Supply of Stitching Machine Spares (12) S.S. Wire Netting & Copper Liner (13) Black Polythene, thread etc. (14) Supply of Auto Clean Rotary magnet (15) Dismantling Job work of old damaged chimney (16) Sale of Boiler Ash (राखी) (17) Supply of Bolero/Scorpio Vehicle on Rent (18) Supply of Printed Stationary.
(KUMAR DHARMENDRA) PCS
GENERAL MANAGER

fabindia
CELEBRATE INDIA
फैबइंडिया लिमिटेड
CIN : U74899DL1976PLC008436
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 10, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सैक्टर-बी, पॉकेट-7, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
फोन +91-11-46041700, ई-मेल : mailus@fabindia.net, वेबसाइट : www.fabindia.com
सूचना
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)
विषयः निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ('आईईपीएफ')
डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लाभांश निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से अदत्त या अदावाकृत है, उन्हें कम्पनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अनिवार्य है।
कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते के साथ ही उनके ई-मेल पते पर (जहाँ ईमेल उपलब्ध है) व्यक्तिगत रूप से भी पत्राचार किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही के लिए कथित नियमों के अधीन आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कम्पनी ने उन संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट https://www.fabindia.com/ पर अपलोड किया है जिनका लाभांश निरंतर सात वर्षों से अदावाकृत पड़ा है और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते को अंतरित किये जाने हेतु देय हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ डीमैट खाते को अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच कर लें। आगे शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गये ऐसे संबंधित शेयरधारकों के विवरण को आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन